

निवेदन किया।

पत्रावली, पत्रावली पर अज्ञान से राजस्व रिमार्ड, परस्तावेजात, शरपंच आदि के तहसील द्वारा जारी प्रमाण पत्र एवं मूल्य परीक्षण हेतु पेशाशुदा शपथ-पत्रों आदि का अपव्ययन किया गया एवं बरस वकील वादीगण पर सख्त सख्त किया गया। - वृंकि वादी सं. 1 व 2 के राजस्व परस्तावेजों तथा वोटर आईडी कार्ड, जन-अध्याय, आधार कार्ड, बैंक पास बुक आदि में नाम इसका निर्मलादेवी तथा मूलीदेवी ही है। तहसील शरपंच गुरु पं. नीमेडा ने भी अपने प्रमाण पत्र में उक्त दुरुस्ती हेतु अभिज्ञता की है। अतः उक्त श्रमस्त तहसीलों के मध्यमजर वाद, वकीलगण शकीकर किया जाना घोषणा की जाती है कि:-

आदेश

तन गाम नीमेडा पं. ह. नीमेडा तहसील राजस्व जिला सीकर (राज.) अवस्थित छवि श्रुति ख. नं. 850, 851 के राजस्व रिमार्ड में वादी नं. 1 का गलत वर्ण नाम "ग्यास्सी पुत्री गोविन्द" के स्थान पर "ग्यास्सी उर्फ निर्मला पुत्री गोविन्दराम" तथा वादी नं. 2 का गलत वर्ण नाम "मूली पुत्री गोविन्द" के स्थान पर "मूली उर्फ भमता पुत्री गोविन्दराम" दुरुस्त किया जाता है। अतःनुसार राजस्व रिमार्ड में ताला दरमा दे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली केसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा वाद तहसील वाकिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 25/2/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(शमेश कुमार)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला